तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19-06-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद प्रकरण सं॰ 82/2008 प्रार्थना O-7 R-11 व धारा 151 CPC स्वीकार किए जाने से खारिज हो चुका है। अत: मूल वाद खारिज होने से प्रार्थना पत्र का औचित्य नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बरान से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बूंदी)